नगर निगम मुख्यालय, मोतीझील स्थित समिति कक्ष में दिनांक 05.09.2024 को स्थगित होकर दिनांक 06.09.2024 दिन शुक्रवार को पूर्वान्ह 11:30 बजे सम्पन्न हुई, मा0 कार्यकारिणी समिति की बैठक का कार्यवृत्त।

दिनांक 06.09.2024 दिन शुक्रवार को पूर्वान्ह 11:30 बजे नगर निगम मुख्यालय, मोतीझील स्थित समिति कक्ष में सम्पन्न हुई, मा0 कार्यकारिणी समिति की बैठक में उपस्थिति।

उपस्थिति

1.	श्रीमती प्रमिला पाण्डेय	महापौर / सभापति
2.	श्री यशपाल सिंह	सदस्य / उपसभापति
3.	श्री देवेन्द्र द्विवेदी	सदस्य
4.	श्री दीपक शर्मा	सदस्य
5.	श्रीमती आरती गौतम	सदस्य
6.	श्री अभिषेक गुप्ता 'मोनू'	सदस्य
7.	श्री लियाकत अली	सदस्य
8.	श्री पवन पाण्डेय	सदस्य
9.	श्री धीरेन्द्र सोनकर	सदस्य
10.	श्रीमती मंजू पाल	सदस्य
11.	श्री आकर्ष वाजपेई	सदस्य
12.	श्री फैजान रहमान	सदस्य

अधिकारीगण

1.	श्री सुधीर कुमार	नगर आयुक्त
2.	मो0 अवेश	अपर नगर आयुक्त
3.	श्री जगदीश यादव	अपर नगर आयुक्त
4.	श्री अमित कुमार भारतीय	अपर नगर आयुक्त
5.	श्री अनूप कुमार वाजपेई	अपर नगर आयुक्त
6.	श्री कृपा नन्द शुक्ला	मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी
7.	सैय्यद फरीद अख्तर जैदी	मुख्य अभियन्ता ''सिविल''
8.	डॉ अजय संख्वार	नगर स्वास्थ्य अधिकारी
9.	डॉ अमित सिंह	नगर स्वास्थ्य अधिकारी
10.	श्री अनिरूद्ध सिंह	मुख्य कर निर्धारण अधिकारी
11.	श्री आनन्द कुमार त्रिपाठी	महाप्रबन्धक, जलकल
12.	श्री अखिलेश चंद्र तिवारी	सहायक लेखाधिकारी
13.	श्री आनन्द कुमार त्रिपाठी	महाप्रबन्धक, जलकल
14.	श्री पी0 के0 सिंह	सचिव, जलकल।
15.	श्री रविशंकर यादव	सचिव नगर निगम

सभापति ने सर्वप्रथम नगर आयुक्त को एजेण्डानुसार बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करने के निर्देश दिये। तद्नुसार नगर आयुक्त के निर्देश के क्रम मो0 अवेश, अपर नगर आयुक्त ''प्रथम'' ने सभी मा0 कार्यकारिणी सदस्यों, नव निर्वाचित सदस्यों को विशेष, अधिकारियों एवं मीडिया बन्धुओं का स्वागत करते हुए बैठक की कार्यवाही हेतु बैठक के बिन्दु सं0 1 उपसभापति चुनाव हेतु सभापति महोदया को अवगत कराया गया।

अपर नगर आयुक्त ''प्रथम'' ने सर्वप्रथम कार्यकारिणी समिति की बैठक में उपस्थित सदस्यों का स्वागत करते हुये एजेण्डा के बिन्दु संख्या–1 के क्रम में नगर निगम कार्यकारिणी समिति के उपसभापति के निर्वाचन हेतु मा0 सभापति एवं सदस्यों से नाम प्रस्तावित करने का अनुरोध किया, श्री यशपाल सिंह के नाम को उपसभापति हेतु प्रस्तुत किया गया, जिसका सभी सदस्यों ने अनुमोदन किया। माननीय सभापति द्वारा श्री यशपाल सिंह को कार्यकारिणी समिति का उपसभापति घोषित किया गया और सभी सदस्यों ने उनका स्वागत किया।

प्रस्ताव संख्याः–52

श्रीमती रेनू अर्पित यादव, पार्षद, वार्ड–45 द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव जो मा.महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है, मा. कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ हेतु प्रस्तुत।

विषयः–स्व. सुनील ब्रह्मचारी (समाजसेवक) जी के नाम मार्ग का नाम किए जाने हेतु।

अवगत कराना है कि स्व. सुनील ब्रह्मचारी एक समाज सेवक थे। जो कि सैकड़ों बहनों की शादियाँ कराते थे। उनका निधन हो गया है। समस्त क्षेत्रवासियों का अनुरोध है कि ई–ब्लॉक बर्रागाँव मोड़ मार्ग गुलाब गार्डन नाले के पास तक सड़क का नाम स्व. सुनील ब्रह्मचारी जी के नाम कराने हेतु प्रस्ताव दे रही हूँ। प्रस्ताव स्वीकारने हेतु आदेशित करें।

............................परीक्षण करा लें, यदि पूर्व से सड़क का नामकरण न हो तो नामकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

प्रस्ताव संख्या–53

श्री सलील विश्नोई, ''विधायक (सदस्य विधान परिषद) प्रदेश उपाध्यक्ष–भा.ज.पा. द्वारा प्रस्तुत जो मा. महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है, मा. कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ हेतु प्रस्तुत।

कीर्तिशेष पदमश्री से सम्मानित प्रतिष्ठित साहित्यकार डा0 गिरिराज किशोर ने देश में कानपुर का मान बढ़ाया है। उनके **उपन्यास 'पहला गिरमिटिया'** को अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हुई थी। उनका परिवार आजी भी 11/210 सूटर गंज में निवास करता है।

मेरा सुझाव है कि स्व. गिरिराज किशोर जी की स्मृति को जीवित रखने के लिये **सूटर गंज की उस सड़क का नाम गिरिराज किशोर मार्ग करने** का प्रस्ताव सदन में पारित करवाने का कष्ट करें।

..........................परीक्षण करा लें, यदि पूर्व से सड़क का नामकरण न हो तो नामकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

प्रस्ताव संख्या–54

महाप्रबंधक जलकल, द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव जो मा. महापौर जी द्वारा अनुमोदित है, मा. कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ हेतु प्रस्तुत।

अवगत कराना है कि जलकल विभाग नगर, निगम कानपुर में वर्ष 1981 में ओ0टी0आई0एस0 कम्पनी के द्वारा 02 नग लिफ्ट कुल 05 मंजिल हेतु स्थापित की गयी थी। जिसमें लिफ्ट का गेट बहुत पुराना हो जाने के वजह से लिफ्ट आये दिन खराब हो जाती रही है। ऐसी स्थिति में ओ0टी0आई0एस0 कम्पनी के प्रतिनिधि को तकनीकी परीक्षण कराने पर कम्पनी के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया किी लिफ्ट काफी पुरानी होने के कारण जर्जर अवस्था में है

तथा दरवाजे अंदर से गल गये है। जिन्हे सुरक्षा की दृष्टि से लिफ्ट को बदला जाना अत्यन्त आवश्यक है। ओ0टी0आई0एस0 कम्पनी के द्वारा 01 नग नई लिफ्ट लगाये जाने हेतु आगणन प्रस्तुत किया गया है जिसमें धनांक रू0–16,20,000.00/– एवं 18 प्रतिशत जी0एस0टी0–2,91,600.00/– कुल धनांक–19,11,600.00/– को प्रेषित किया गया है।

अतः कार्य की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए उक्त कार्य कराये जाने हेतु रू0 19,11,600.00/–(जी0एस0टी0सहित) के व्यय की स्वीकृति प्रदान करने एवं ई–निविदा हेतु पत्रावली सादर प्रेषित है।

......................सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान करते हुए तत्काल निविदा मंगाकर कार्य प्रारम्भ कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

प्रस्ताव संख्या–55

कार्यालय 'सम्पत्ति विभाग' द्वारा प्रस्तु प्रस्ताव जोकि मा. महपौर द्वारा अनुमोदित है, कार्याकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ हेतु प्रस्तुत है।

कृपया मा0 कार्यकारिणी समिति तथा मा0 सदन की आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जाने हेतु संलग्न प्रस्ताव का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, कानपुर के पत्रांक–भा0रा0रा0प्रा0/प0क0ई0– कन्नौज/1802/का0–रिंग रोड/2024/718 दिनांक 27.03.2024 द्वारा कानपुर रिंग रोड कानपुर के चैनेज किमी0 51.200 से किमी0 68.650 बदरका हरवंश–उचटी पैकेज–3 तक के निर्माण में तहसील–सदर के अन्तर्गत् ग्राम चकेरी व कुलगांव में कानपुर नगर निगम कानपुर की भूमि पर प्रस्तावित कानपुर रिंग रोड के निर्माण के सम्बन्ध में है।

अवगत कराना है कि प्रकरण के सम्बन्ध में तत्कालीन नगर आयुक्त महोदय के आदेश संख्या–10/2024–25/क दिनांक 02.04.2024 में गठित कमेटी द्वारा संलग्न प्रस्तावित प्रस्ताव तथा प्रकरण का परीक्षण कर लिया है, की प्रति संलग्न है।

अतः उपरोक्तानुसार प्रस्ताव को आगामी मा0 कार्यकारिणी समिति तथा मा0 सदन के निर्णय के विचारार्थ/स्वीकृतार्थ प्रेषित करने का कष्ट करें।

कानपुर रिंग रोड कानपुर के चैनेज किमी0 51.200 से किमी0 68.650 बदरका हरवंश–उचटी पैकेज–3 तक के निर्माण में तहसील–सदर के अन्तर्गत ग्राम चकेरी व कुलगांव में कानपुर नगर निगम कानपुर की भूमि हस्तांतरित किये जाने का प्रस्तावित प्रस्ताव।							
कम ांक	**मौजा**	**गाटा संख्या**	**क्षेत्रफल हेक्टेयर**	**रिंग रोड पर पड़ने वाला क्षेत्रफल हे0**	**जिलाधिकारी द्वारा स्वीकृत सर्किल रेट वर्ष 2018 के अनुसार प्रति हे0 दर**	**रिंग रोड पर जाने वाले क्षेत्रफल का मूल्यांकन**	**जिलाधिकारी के मूल्यांकन सूची वर्ष 2018 के अनुसार विवरण**
1.	कुलगांव	127/0.10.20 129/00200	0.1008 0.1031	0.1008 0.0200	94,50,000 प्रति हे0	9,52,560/– 1,89,000/–	पुस्तिका के पृष्ठ–32 के कॉलम–10 के अनुसार।
2.	चकेरी	203 चुंगीघर1.1670 217 0.0920	0.1623 0.0024	0.0903 0.0024	4,62,00,000 प्रति हे0 अन्तरित गाटे में आवासीय गतिविधि पर 70 प्रतिशत अतिरिक्त 2,02,12,500/–हे0	41,71,860/–29,20,302/– 48,510/–	पुस्तिका के पृष्ठ–41 नैशनल हाईवे पर स्थित कॉलम–12। सामान्य निर्देश पृष्ठ–2 प्रस्तर–6ए आवासीय सरकारी कालोनियां गाटा 203 के पूर्वी जुज भाग पर स्थित हैं। पुस्तिका के पृष्ठ–33 चकेरी का कॉलम–10 के अनुसार।
						82,82,232/–	

परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, कानपुर के पत्रांक–भा0रा0रा0प्रा0/प0क0ई0–कन्नौज/1802/का0–रिंग रोड/2024/718 दिनांक 27.03.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जो कानपुर रिंग रोड कानपुर के चैनेज किमी0 51.200 से किमी0 68.650 बदरका हरवंश–उचटी पैकेज–3 तक के निर्माण में तहसील–सदर के अन्तर्गत ग्राम चकेरी व कुलगांव में कानपुर नगर निगम, कानपुर की भूमि पर प्रस्तावित कानपुर रिंग रोड के निर्माण के

सम्बन्ध में नगर आयुक्त महोदय आदेश संख्या—10/2024—25/क दिनांक 02.04.2024 में गठित कमेटी द्वारा उपरोक्त प्रस्तावित प्रस्ताव का परीक्षण कर लिया गया है।**(संस्तुति की प्रति संलग्न है।)** जिलाधिकारी कानपुर नगर के मूल्याकंन सूची 2018 में अंकित ग्राम की भूमि दर पर मुआवजा निर्धारित है। नगर आयुक्त महोदय द्वारा उक्त सम्पत्ति के निस्तारण हेतु जो कि नगर निगम की हो, को नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा—129 के अन्तर्गत निस्तारण किया जायेगा। अधिनियम की धारा—129 सम्पत्ति के निस्तारण सम्बन्धी उपबन्ध व धारा—128 सम्पत्ति बेचने का अधिकार तथा नगर निगम अधिनियम 1959 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत प्रस्ताव मा0 कार्यकारिणी/मा0 सदन के निर्णय के उपरान्त शासन से भूमि हस्तांतरण हेतु स्वीकृति प्राप्त किये जाने के लिए नगर आयुक्त महोदय द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी है। अतः उक्त प्रस्ताव को मा0 कार्यकारिणी समिति तथा मा0 सदन के निर्णयार्थ प्रेषित है।

.... रिंग रोड में आने वाली सीवेज फार्म समस्त भूमि का गाटा संख्या एवं क्षेत्रफल की पैमाइश एवं मूल्यांकन सहित जॉच कराकर अगली कार्यकारिणी समिति की बैठक में प्रस्तुत करें।

<u>प्रस्ताव संख्या—56</u>

श्री आकर्ष बब्लू बाजपेई, पार्षद वार्ड—32, कार्यकारिणी सदस्य द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव जो मा.महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है, मा. कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ हेतु प्रस्तुत।

आपको अवगत कराना है कि नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा—132 (5) के तहत नगर आयुक्त जी द्वारा प्रत्येक सूचना जो 05 लाख से अधिक और 10 लाख से अनधिक का व्यय होना हो, संविदा के लिये जाने के 15 दिन के भीतर कार्यकारिणी समिति को दी जायेगी, परन्तु अफसोस है कि उनके द्वारा ऐसी कोई जानकारी भेजी नहीं जा रही है।

अतः आपसे अनुरोध है कि नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 132 (5) को अमल मे लाने का आदेश मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष प्रस्ताव स्वीकृत्यर्थ एवं विचारार्थ प्रस्तुत है। उक्त प्रस्ताव जल संस्थान द्वारा कराये जा रहे कार्यो पर भी लागू होगा।

श्री अभिषेक गुप्ता 'मोनू' ने कहा कि किसी जनप्रतिनिधि अथवा उच्च अधिकारी के निर्देश के क्रम में सामान्य निविदा की पत्रावली हो जाती है, किन्तु कोई पार्षद के अनुरोध सामान्य निविदा की पत्रावली तैयार करने में आपत्ति प्रकट की जाती है।

श्री आदर्श वाजपेई ने कहा कि नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 132(5) में उक्त व्यवस्था प्राविधानित है।

सभापति ने कहा कि उक्त प्रस्ताव का प्रस्ताव का अधिनियम की धारा का अनुपालन कराया जाये।

.... नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 132(5) तत्काल से अनुपालन करने हेतु सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।

<u>प्रस्ताव संख्या—57</u>

श्री सौरभ देव, पार्षद वार्ड—15, द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव जो मा. महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है, मा. कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ हेतु प्रस्तुत ।

विषयः— कानपुर नगर निगम की चुन्नीगंज वर्कशाप की भूमि पर कानपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वार निर्माणधीन कन्वेंशन सेन्टर के सम्बंध में।

अवगत करना है कि मेरे वार्ड सं0—15 मकरार्बटगंज के अंतर्गत नगर निगम, कानपुर की चुन्नीगंज वर्कशाप की भूमि पर कानपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा कन्वेंशन सेन्टर का निर्माण कराया जा रहा है। उक्त कन्वेंशन सेन्टर का निर्माण विगत 01 वर्ष भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की अनुमति न होने के कारण लम्बित था। अब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से अनुमति प्राप्त हो चुकी है, परन्तु कानपुर स्मार्ट सिटी के अधिकारियों की लापरवाही से प्रोजेक्ट में विलंब हो रहा है, जिससे आम जनमानस को लाभ नहीं हो पा रहा है।

अतएव आपसे अनुरोध है कि चुन्नीगंज वर्कशाप की भूमि पर कानपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा निर्माणधीन कन्वेंशन सेन्टर की जाँच हेतु मा0 पार्षद एवं अधिकोरियों की एक समिति गठन किये जाने के सम्बंध में प्रस्ताव मा0 कार्यकारिणी समिति के स्वीकृत्यर्थ एवं विचारार्थ प्रस्तुत है, ताकि कार्य की गुणवत्ता एवं प्रगति की समीक्षा की जा सके।

.......................समिति गठित कर जॉच की कार्यवाही कराये जाने हेतु मा0 सदन को अग्रसारित किया गया।

<u>प्रस्ताव संख्या–58</u>

श्री आकर्ष बब्लू बाजपेई, पार्षद वार्ड–32, कार्यकारिणी सदस्य द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव जो मा.महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है, मा0कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ हेतु प्रस्तुत।

मै मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष यह प्रस्ताव रखना चाहता हूॅं कि नगर निगम की अधिनियम 1959 की धारा 118 के बिन्दु (ख) में मुख्य नगर लेखा परीक्षक को मा0 कार्यकारिणी समिति द्वारा समय–समय पर दिये गये निर्देशों के अधीन रहते हुए तुरन्त अधीनस्थ लेखा–पारीक्षक तथा सहायक लेखा–परीक्षक लिपिक तथा कर्मचारियों के कर्तव्यों को नियत करेगा।

उक्त के क्रम में नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 134 के अनुसार नगर निगम सीमान्तर्गत विकास कार्य हेतु प्रस्ताव तैयार किये जाते है, उन प्रस्तावों के कार्यो की जॉच भुगतान के उपरान्त की जाती है। उक्त अधिनियम के अन्तर्गत मेरा प्रस्ताव है कि नगर निगम कानपुर सीमान्तर्गत विकास कार्य से सम्बन्धित जो भी प्रस्ताव तैयार किये जाये, उसकी जॉच निविदा से पूर्व करायी जाये, क्यों कि कई ऐसे प्रकरण प्रकाश में आये है कि एक ही कार्य की दो–दो पत्रावलियॉ तैयार हो जाती है एवं कई सड़के एक ही वर्ष अथवा कुछ माह में ही खराब हो जाती है एवं निविदादाता पर कार्यवाही नही हो पाती है, निर्माण कार्य से पूर्व जॉच से उनकी गुणवत्ता भी प्रभावित नही होगी। उक्त प्रस्ताव जल संस्थान द्वारा कराये जा रहे कार्यो पर भी लागू होगा।

अतएव मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष प्रस्ताव स्वीकृत्यर्थ एवं विचारार्थ प्रस्तुत है।

श्री आकर्ष वाजपेई ने कहा कि सभी निविदाओं की भुगतान पूर्व स्थलीय निरीक्षण करा ली जाये, आडिट में केवल फाइल की छाया प्रति भेजी जाये।

श्री अभिषेक गुप्ता 'मोनू' ने कहा कि यदि आडिट में पत्रावली नहीं भेजी जायेगी तो निविदादाता सिक्योरिटी मनी लेकर चला जायेगा, कार्य की सूचना मुख्य नगर लेखा परीक्षक के पास पड़ी रहेगी और आपत्ति भी यही रहेगी।

श्री आकर्ष वाजपेई ने कहा कि आडिट में फाइल गायब हो जाती है, भुगतान से पूर्व स्थलीय निरीक्षण की जाये।

.... स्वीकृति प्रदान की जाती है। मुख्य नगर लेखा परीक्षक को आदेशित किया जाता है कि साप्ताहिक रिपोर्ट मा0 कार्यकारिणी के समक्ष प्रस्तुत करें।

<u>प्रस्ताव संख्या–59</u>

श्री आकर्ष बब्लू बाजपेई, सदस्य मा. कार्यकारिणी, पार्षद वार्ड–32, द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव जो मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है, मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ हेतु प्रस्तुत।

<u>विषय– **नगर निगम मुख्यालय, मोतीझील के तृतीय तल जिसमें कानपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड का कार्यालय है, कि किराया नगर निर्धारण करते हुए नगर निगम, कानपुर को उपलब्ध कराये जाने के सम्बंध में।**</u>

अवगत कराना है कि नगर निगम मुख्यालय, मोतीझील के तृतीय तल पर कानपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड का मुख्यालय है। स्मार्ट सिटी मुख्यालय से पूर्व नगर निगम के कई कार्यालय थे।

उक्त स्मार्ट कार्यालय द्वारा अभी तक नगर निगम को कोई किराया जमा नहीं किया गया है, जिससे नगर निगम को राजस्व की हानि हो रही है।

अतएव आपसे अनुरोध है नगर निगम मुख्यालय, मोतीझील के तृतीय तल स्थित कानपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के कार्यालय का किराया निर्धारित कराते हुए बकाया सहित नगर निगम कोष में जमा कराये जाने हेतु मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष प्रस्ताव स्वीकृत्यर्थ एवं विचारार्थ प्रस्तुत है।

श्री अभिषेक गुप्ता 'मोनू' ने कहा कि जब कानपुर का नाम स्मार्ट सिटी में आया था, तब यह प्रस्ताव लाया गया था कि स्मार्ट सिटी का आफिस रेंट पर लेकर चलाया जाये, किन्तु नगर निगम मुख्यालय में ही स्मार्ट सिटी का आफिस बना दिया गया, जिससे अधिकारियों को कही और न जाना पड़े। स्मार्ट सिटी भुगतान करेगी, तत्पश्चात् भूमि या स्थल स्मार्ट सिटी के कार्यालय संचालन हेतु दी जायेगी। इसके बारे में श्री आर0के0 सिंह, सहायक अभियन्ता को जानकारी होगी, कि ऐसी योजना बनाई गयी थी।

नगर आयुक्त ने सदस्यों को अवगत कराया कि पूर्व में होना चाहिए था, पहले यह हो जाता तो हम वसूली कर लेते, अब मार्च 2025 में स्मार्ट सिटी का कार्यकाल समाप्त हो जायेगा।

........................तद्नुसार जॉच कर लें, यदि अन्य निगमों को किराया मिल रहा है, तो स्थल का किराया निर्धारित करते हुए नोटिस जारी करें।

<u>प्रस्ताव संख्या–60</u>

श्री सौरभ देव, पार्षद वार्ड–15, द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव जो मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है, मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ हेतु प्रस्तुत।

<u>विषयः– कानपुर नगर निगम की चुन्नीगंज वर्कशाप की भूमि पर कानपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा निर्माणधीन कन्वेंशन सेन्टर के सम्बंध मे।</u>

अवगत कराना है कि मेरे वार्ड सं0–15 मकरार्बटगंज अन्तर्गत नगर निगम, कानपुर की चुन्नीगंज वर्कशाप की भूमि पर कानपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा कन्वेंशन सेन्टर का निर्माण कराया जा रहा है। कन्वेंशन सेन्टर का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

अतएव आपसे अनुरोध है कि चुन्नीगंज वर्कशाप की भूमि पर कानपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा निर्मित किये जा रहे कन्वेंशन सेन्टर पूर्ण होने वाला है पूर्ण होने के उपरांत कानपुर नगर निगम को स्थानान्तरित किए जाने के उपरांत रख–रखाव एवं संचालन के सम्बंध में मा0 पार्षद एवं अधिकारियों की एक समिति गठित किये जाने हेतु मा0 कार्यकारिणी समिति के स्वीकृत्यर्थ एवं विचारार्थ प्रस्तुत है, ताकि अनुभवी विशेषज्ञों से इसकी रख–रखाव, संचालन का प्रारूप एवं योजना बन सके।

श्री अभिषेक गुप्ता 'मोनू' ने कहा कि नगर निगम को स्मार्ट सिटी हैण्डओवर करेगा, कैसे हैण्ड ओवर करेगा ? कानपुर विकास प्राधिकरण या नगर निगम किसको हैण्डओवर होगा ? पूर्ण जानकारी उपलब्ध करायी जाये। पूरे प्रोजेक्ट की जानकारी दी जाये।

सभापति ने कहा जल्द पूर्ण कराकर हैण्डओवर की कार्यवाही करायें।

.... चुन्नीगंज वर्कशाप की भूमि पर कानपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा निर्मित कन्वेंशन सेन्टर को जल्द पूर्ण कराते हुए समिति गठित कर हैण्ड ओवर की कार्यवाही कराये जाने हेतु नगर आयुक्त की निर्देशित करते हुए मा0 सदन को अग्रसारित किया गया।

<u>प्रस्ताव संख्या–61</u>

श्रीमती मंजू पाल, श्री वीरेन्द्र सिंह, नीरज कुमार, श्री शुभम वर्मा, श्री आंनद शुक्ला, श्री अरूण गर्ग व अन्य मा0 पार्षदगणों द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव जो मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है, मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ हेतु प्रस्तुत।

<u>विषय–रू0 एक लाख से ऊपर के कार्य ई–निविदा से कराये जाने के सम्बंध में</u>

अवगत कराना है कि नगर निगम, कानपुर के रू0 10 लाख से नीचे के कई कार्य मैनुअल टेण्डर से करा लिये जाते है, जिसमें अनियमितता की खबरे प्रकाश में आती रहती है।

अतएव आपसे अनुरोध है कि नगर निगम से सम्बंधित रू0 01 (एक लाख) से अधिक के कार्य ई–निविदा से कराये जाने हेतु प्रस्ताव मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष स्वीकृत्यर्थ/विचारार्थ प्रस्तुत है।

................तद्नुसार सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी। तत्काल प्रभाव से लागू किया जाये।

<u>प्रस्ताव संख्या–62</u>

श्री सौरभ देव, पार्षद वार्ड–15, द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव जो मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है, मा0 मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ हेतु प्रस्तुत।

अवगत कराना है कि मा0 सदन की बैठक दिनांक 19.02.2024 के टेबुल प्रस्ताव संख्या–33 में मा0 सदन द्वारा हॉट मिक्स प्लान्ट रजिस्ट्रेशन की जाँच हेतु समिति गठित करते हुए स्थलीय निरीक्षण की जाँच हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त जाँच में क्या कार्यवाही की गयी, अभी तक इसकी आख्या प्रस्तुत नहीं की गयी है, यह दायित्व के विरूद्ध लापरवाही है।

अतएव उक्त जाँच की कार्यवाही के सम्बंध में कृत कार्यवाही के सम्बंध में अवगत कराये जाने के साथ ही मा0 सदन के निर्देश की अवमानना हेतु दोषी के विरूद्ध कार्यवाही हेतु मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष प्रस्तुत है।

सभापति ने कहा जो कमिटी के अध्यक्ष बनाये गये, कार्यकारिणी को जॉच कार्यवाही से अवगत कराये।

मो0 अवेश, अपर नगर आयुक्त ने अवगत कराया कि सभी अपर नगर आयुक्त एवं 02 पार्षद के साथ एक समिति बनायी गयी थी, जॉच समिति की रिपोर्ट मुख्य अभियन्ता ''सिविल'' कार्यालय में जमा कराया गया था।

.... **मुख्य अभियन्ता ''सिविल'' समस्त जॉच रिपोर्ट मा0 कार्यकारिणी के समक्ष प्रस्तुत करें।**

<u>टेबुल प्रस्ताव संख्या– 63</u>

महाप्रबन्धक, जलकल द्वारा प्रस्तुत, नगर आयुक्त द्वारा अग्रसारित एवं मा0 महापौर जी द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर विचार किया जाना।

कृपया निदेशक, नगर निकाय,उ0प्र0, लखनऊ के पत्रांक 423/01/नगरीय प्रशिक्षण/2023 दिनांक 07 नवम्बर, 2023 में सह उल्लेख करते हुये निर्देशित किया गया है कि ''**शहरी स्तर पर FSSM** सेवाओं के लिए एक मजबूत regulatory framework आवश्यक है, जिसमें स्पष्ट रूप से निकाय, नागरिकों और अन्य stakeholder की भूमिकाएं और उत्तरदायित्व (roles & responsbilties) परिभाषित हों। अतएव, यह अनिवार्य है कि इन महत्वपूर्ण मुद्दों को हल करने के लिए मजबूत उपविधियों को निकाय स्तर पर तैयार कर कार्यान्वित किया जाए।''

उक्त के अनुपालन में उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (नगर निगम, कानपुर) द्वासरा घर/भवन/प्रतिष्ठान में ऑनसाइट सेनिटेशन सिस्टम (सेप्टिक टैंक /पिट/सोख्ता) के संग्रहण, ढुलाई और उससे जुड़े मामलों के लिए फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबन्धन हेतु राज्य मॉडल उपविधि बनाई गयी है, जिसमें उल्लिखित प्रावधानों को जलकल विभाग, नगर निगम, कानपुर में लागू किया जाना है।

अतएव उपरोक्तानुसार प्रस्ताव मा0 सदन की बैठक में स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।

सभापति ने महाप्रबन्धक, जल कल से पूछा कि आपके द्वारा परीक्षण कर लिया गया है।

महाप्रबन्धक द्वारा अवगत कराया गया है कि शासन का मॉडल है,पूरे उत्तर प्रदेश मे लागू होना है।

..........................**तद्नुसार स्वीकृति करते हुए मा0 सदन को अग्रसारित किया गया।**

<u>टेबुल प्रस्ताव संख्या– 64</u>

श्री धीरेन्द्र कुमार सोनकर, पार्षद, श्री अभिषेक गुप्ता'मोनू', पार्षद श्रीमती मंजू पाल,पार्षद, श्री योगेन्द्र शर्मा, पार्षद, श्री पवन पाण्डेय, पार्षद द्वारा प्रस्तुत एवं मा0 महापौर द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर विचार किया जाना।

विषयः वार्ड 21 खाड़ेपुर मे पेयजल हेतु ट्यूबवेल लगवाने के सम्बन्ध में।

आपको अवगत कराना चाहते है कि वार्ड 21 खाड़ेपुर में मलिन बस्ती भी है और पेयजल की समस्या से लगभग 50 हजार की आबादी प्रभावित है और दूषित जल उपयोग करने के लिए मजबूर है अतः क्षेत्र की समस्या को देखते हुए महोदय आपसे निवेदन है कि खाड़ेपुर मे ट्यूबवेल लगवाने की कृपा करें।

उक्त सहयोग हेतु इस क्षेत्र की जनता सदैव आभारी रहेगी।

.... **तद्नुसार आगणन प्रस्तुत तैयार कर मा0 सदन में प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।**

टेबुल प्रस्ताव संख्या– 65

अधिशाषी अभियन्ता, जोन–4 मुख्य अभियन्ता ''सिविल'' द्वारा प्रस्तुत एवं नगर आयुक्त द्वारा अग्रसारित प्रस्ताव पर विचार किया जाना।

कानपुर नगर निगम सीमान्तर्गत सड़कों के सुधार कार्य हेतु पण्डित दीन दयाल नगर विकास योजना के अन्तर्गत धनांक रू० 391.60 लाख का प्रस्ताव तैयार किया गया है, जो निम्नवत् है :–

क्र0	कार्य का नाम	अनुमानित व्ययानुमान (लाख में)
1	जोन–1 वार्ड 32 के अन्तर्गत रायपुरवा थाना से श्री श्याम बिहारी मिश्र तक रोड का सुधार कार्य।	45.00
2	जोन–1 वार्ड 32 के अन्तर्गत चन्द्रिका देवी चौराहा से जी0टी0 रोड तक प्लान्ट द्वारा सड़क का सुधार कार्य।	35.00
3	जोन–1 वार्ड 32 के अन्तर्गत रामलीला मैदान से आचार्य नगर तक सड़क का सुधार कार्य।	38.50
4	जोन–1 वार्ड 32 के अन्तर्गत मजार से डिप्टी पड़ाव चौराहे तक फुटपाथ का सुधार कार्य।	15.00
5	जोन–4 वार्ड 49 के अन्तर्गत रामबाग चौराहा से जरीब चौकी तक सड़क का प्लान्ट द्वारा सुधार कार्य।	102.60
6	जोन–4 वार्ड 37 के अन्तर्गत केसा चौराहा से त्रिमूर्ति मन्दिर तक सड़क का सुधार कार्य।	20.00
7	जोन–4 वार्ड 49 के अन्तर्गत 106/263 (रमेश गुप्ता) हीरागंज से 106/257 तक गलियों का सुधार कार्य।	20.00
8	जोन–4 वार्ड 15 के अन्तर्गत विभिन्न मार्गों का सी0सी0 द्वारा सुधार कार्य।	60.50
9	जोन–6 वार्ड 85 के अन्तर्गत कल्यान बेकरी से जाफरान होटल के मोड़ तक सड़क सुधार कार्य।	30.00
10	जोन–6 वार्ड 85 के अन्तर्गत गुरू गोविन्द सिंह चौक से नजीराबाद थाना मोड़ तक सड़क सुधार कार्य।	25.00
	योग	**391.60**

उपरोक्त कार्य पण्डित दीन दयाल नगर विकास योजना के अन्तर्गत धनांक रू0 391.60 लाख (रू० तीन करोड़ इक्यानबे लाख साठ हजार) का प्रस्ताव माननीय सदन से अनुमोदन कराये जाने की स्वीकृति की प्रत्याशा मा०महापौर जी द्वारा अनुमोदित किया जा चुका है।

अतः उक्त प्रस्ताव मा0 कार्यकारिणी के माध्यम से मा0 सदन के समक्ष अनुमोदनार्थ/ स्वीकृतार्थ प्रेषित है।

.... **तद्नुसार स्वीकृति प्रदान करते हुए मा0 सदन को अग्रसारित किया गया।**

टेबुल प्रस्ताव संख्या– 66

अधिशाषी अभियन्ता (प्रोजेक्ट), मुख्य अभियन्ता ''सिविल'' द्वारा प्रस्तुत, नगर आयुक्त द्वारा अग्रसारित एवं मा0 महापौर द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर विचार किया जाना।

विषय : **कानपुर नगर मे स्थित रिक्त भूमि पर कम्युनिटी सेन्टर/सामुदायिक केन्द्र वंचित समाज के उपयोग हेतु निर्मित किये जाने के सम्बन्ध में।**

कृपया अवगत कराना है कि पूर्व पृष्ठ पर मा0 महापौर महोदया द्वारा प्राप्त स्वीकृति के क्रम में अवगत कराना है कि सी0एस0आर0 फण्ड के अन्तर्गत **जे0सी0आई0 इण्डस्ट्रियल** द्वारा कम्युनिटी सेन्टर/सामुदायिक केन्द्र के निर्माण

हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव के क्रम में मा0 महापौर महोदया द्वारा पत्रांक 49ए/एम/24–25 दिनांक 20.06.2024 के माध्यम से पी0पी0पी0 मॉडल पर एग्रीमेन्ट कर मा0 सदन के समक्ष प्रस्तुत किये जाने के निर्देशानुपालन में कम्युनिटी सेन्टर/सामुदायिक केन्द्र का निर्माण कराये जाने व उक्त के अनुसार जमीन चिन्हित कर आवंटित करने हेतु संस्था व कानपुर नगर निगम के मध्यम एम0ओ0यू0 का गठन किया जाना प्रस्तावित था। तत्क्रम में नगर निगम कानपुर व जे0सी0आई0 इण्डस्ट्रियल के प्रतिनिधियों के द्वारा संयुक्त रूप से तैयार कराया गया है, जिसका ड्राफ्ट पत्रावली में दाहिनी ओर संलग्न है व आगणन का गठन भी किया गया है, जिसके अनुसार लागत कुल धनांक रू0 193.53 लाख (जी0एस0टी0 अतिरिक्त) है।

उक्त के क्रम में विभाग द्वारा कम्युनिटी सेन्टर/सामुदायिक केन्द्र हेतु रायपुरवा थाने के समीप रामलीला मैदान के पास की रिक्त भूमि जिसका स्वामित्व श्रम विभाग का हैं, उपयुक्त प्रतीत होने के दृष्टिगत है व उक्त स्थान पर कम्युनिटी सेन्टर/सामुदायिक केन्द्र निर्माण हेतु एन0ओ0सी0 प्राप्त नहीं हो सकी है। कम्युनिटी सेन्टर/सामुदायिक केन्द्र निर्माण हेतु विकल्प के रूप में कानपुर नगर निगम के स्वामित्व की भूमि जो कानपुर नगर के मध्य बी0एस0 ग्राउन्ड में बी0एन0एस0डी0 से सटी हुई है, भूमि में कुल 2538.00 वर्ग मीटर (लम्बाई 54.00 मी0, चौड़ाई 47.00 मी0) क्षेत्रफल की भूमि की आवश्यकता है, जिसमें 874.00 वर्क मी0 का निर्माण क्षेत्र होगा। जे0सी0आई0 इण्डस्ट्रियल द्वारा कम्युनिटी सेन्टर/सामुदायिक केन्द्र के निर्माण उपरान्त उक्त भवन का नाम ''**के0आई0जे0सी0 मंगल भवन**'' किया जाना भी प्रस्तावित है।

अतः उपरोक्तानुसार जेसीआई कानपुर इण्डस्ट्रियल (केआईजेसी) से प्राप्त होने वाले सी0एस0आर0 फण्ड की धनराशि से बी0एस0 ग्राउन्ड, बेनाझाबर रोड स्थित बी0एन0एस0डी0 से सटी कानपुर नगर निगम भूमि पर प्रस्तावित सामुदायिक केन्द्र/कम्युनिटी सेन्टर के निर्माण हेतु स्वीकृति एवं कानपुर नगर निगम व जे0सी0आई0 इण्डस्ट्रियल के मध्य एम0ओ0यू0 किये जाने की स्वीकृति प्रदान करने हेतु मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष प्रेषित किये जाने हेतु स्वीकृति हेतु प्रस्ताव मा0 कार्यकारिणी के प्रेषित किये जाने हेतु स्वीकृतार्थ अग्रसारित है।

सभापति ने पूछा कि भूमि एवं भवन पर स्वामित्व किसका रहेगा ?

श्री आर0 के0 सिंह, अधिशाषी अभियन्ता (प्रोजेक्ट) द्वारा अवगत कराया गया कि भूमि एवं भवन का स्वामित्व नगर निगम के पास रहेगा।

........................**तद्नुसार स्वीकृति प्रदान करते हुए एम0ओ0यू0 किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।**

<u>टेबुल प्रस्ताव संख्या– 67</u>

अपर नगर आयुक्त द्वारा प्रस्तुत एवं नगर आयुक्त द्वारा अग्रसारित एवं मा0 महापौर द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर विचार किया जाना।

नगर आयुक्त महोदय कार्यालय के पत्र संख्या 822/3/प दिनांक 03.09.2024 को अधिनियम की धारा 148 एवं 221 के अन्तर्गत सूचनार्थ प्रेषित।

''नगर निगम सीमान्तर्गत भवन एवं सम्पत्तियों पर आरोपित एवं देय सामान्य कर (गृहकर) की दरें विगत वर्षो की भांति वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु 10 प्रतिशत की छूट की अवधि 02 माह अगस्त व सितम्बर 2024 में बढ़ाये जाने–

नगर निगम सीमान्तर्गत स्थित सम्पत्तियों के ऐस भवन/अध्यासी जिनके द्वारा अपने भवन/सम्पत्ति का गृहकर लगातार जमा किया जाता है और उन पर कोई बकाया शेष न हो, को चालू वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु मा0 सदन के प्रस्ताव संख्या–45 दिनांक 11.03.2024 द्वारा वित्तीय वर्ष 2024–25 की चालू मांग एकमुश्त जमा करने पर 10 प्रतिशत की छूट अप्रैल से जुलाई 2024 तक की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

तदोपरान्त जनहित को दृष्टिगत रखते हुये मा0 महापौर महोदया द्वारा आगामी 02 माह अगस्त 24 एवं सितम्बर 2024 हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी, जिसकी स्वीकृति हेतु प्रस्ताव मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ एवं स्वीकृतार्थ प्रस्तुत है।

.........................**तद्नुसार स्वीकृति प्रदान करते हुए मा0 सदन को अग्रसारित किया गया।**

<u>टेबुल प्रस्ताव संख्या– 68</u>

श्री जावेद अख्तर (गुड्डू) पार्षद, वार्ड 108 द्वारा प्रस्तुत एवं मा0 महापौर जी द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर विचार किया जाना।

सादर अवगत कराना है कि मेरे वार्ड के अन्तर्गत कुल 02 प्रमुख चौराहे यतीमखाना चौराहा, लियाकत दादा चौराहा आता है। दोनों चौराहों का सुन्दरीकरण कराये जाने की आवश्यकता है।

अतः आपसे सादर अनुरोध है कि उक्त दोनों चौराहों का सुन्दरीकरण स्मार्ट सिटी से कराये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करे।

.......................**तद्नुसार उक्त चौराहो के सुन्दरीकरण का कार्य सी0एस0आर0 फण्ड/स्मार्ट सिटी से सुन्दरीकरण कराये जाने हेतु नगर आयुक्त को निर्देशित किया गया।**

<u>टेबुल प्रस्ताव संख्या–69</u>

श्री नीरज कुमार गुप्ता, पार्षद, श्री अभिषेक गुप्ता 'मोनू', श्रीमती आरती गौतम, श्री लियाकत अली, श्री फैजान रहमान, श्री दीपक शर्मा द्वारा प्रस्तुत एवं मा0 महापौर द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर विचार किया जाना।

विषय : जोन–05 वार्ड 34 रतनलाल नगर के अन्तर्गत पेट्रोल पम्प चौराहे से दून इण्टरनेशनल स्कूल वाले मार्ग के नामकरण हेतु।

सादर निवेदन है कि विषयांकित स्थल का स्वर्गीय सरदार महेन्द्र सिंह भारद्वाज जी (पूर्व महापौर, पूर्व विधायक, कानपुर) के नाम पर स्वर्गीय सरदार महेन्द्र सिंह चौक व मार्ग को स्व0 महेन्द्र सिंह मार्ग रखा जाने का प्रस्ताव आपके समक्ष प्रस्तुत है।

यह प्रस्ताव स्व0 महेन्द्र सिंह भारद्वाज जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने व कानपुर शहर के विकास में महत्वपूर्ण योगदान व उनके द्वारा किये गये कार्यो की स्मृति को बनाये रखने हेतु अत्यन्त उपयुक्त होगा व उनके प्रति हमारी श्रद्धांजलि होगी।

अतः आपसे निवेदन है कि इस प्रस्ताव को मा0 कार्यकारिणी से स्वीकृति देने का कष्ट करे।

...................**परीक्षण करा लें, यदि पूर्व से सड़क का नामकरण न हो तो नामकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है।**

<u>टेबुल प्रस्ताव संख्या–70</u>

श्री यशपाल सिंह, श्री आकर्ष वाजपेई, पार्षद द्वारा प्रस्तुत एवं मा0 महापौर द्वारा अनुमोदित प्रसताव पर विचार किया जाना।

नगर निगम मुख्यालय की सुरक्षा एवं संरक्षा के लिये पूर्व से ही केयर टेकर विभाग स्थापित है। केयर टेकर कार्यालय में केयर टेकर प्रभारी के अतिरिक्त केयर टेकर के रूप में अभियन्ता/वरिष्ठ लिपिक कार्य संचालन हेतु तैनात किये जाते रहे है। विगत एक वर्ष 01 माह से केयर टेकर के रूप में श्री राम जी अवस्थी, लेखाकार (केन्द्रीयत) जो 31 मई 2024 को अपनी अधिवर्षता आयु पूर्ण होने पर सेवानिवृत्त हो चुके है। श्री राम जी अवस्थी, सेवानिवृत्त लेखाकार ने केयर टेकर पद पर रहते हुये महापौर कार्यालय, नगर आयुक्त कार्यालय, अपर नगर आयुक्त कार्यालय अपने पर्यवेक्षण (देख–रेख) में बड़ी ही निष्ठा से सम्पन्न कराये जाने के साथ कार्यो को कुशलतापूर्वक सम्पादित किया है। मुख्यालय की रंगाई, सफाई, मरम्मत तथा अनुरक्षण बड़ी ही निष्ठा एवं लगन से कराया है।

चूँकि नगर निगम कार्यहित मे तत्कालीन नगर आयुक्त के आदेशानुसार सेवा प्रदाता कम्पनी के माध्यम से श्री राम जी अवस्थी, सेवानिवृत्त लेखाकार (केन्द्रीयत) को केयर टेकर के पद पर कार्य कर रहे है।

अतएव श्री राम जी अवस्थी, सेवानिवृत्त लेखाकार (केन्द्रीयत) को केयर टेकर के पद पर रखे जाने का प्रस्ताव मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ एवं स्वीकृत्यर्थ प्रस्तुत है।

.........................**तद्नुसार स्वीकृति प्रदान की गयी।**

<u>टेबुल प्रस्ताव संख्याः—71</u>

श्री यशपाल सिंह "पार्षद" वार्ड—78 द्वारा प्रस्तुत एवं मा0 महापौर द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर विचार किया जाना।

नानाराव पार्क सिविल लाइन्स कानपुर नगर में स्थित नवनिर्मित पण्डाल में गणेश चतुर्थी के उवसर पर भव्य गणेश पूजन कर शुभारम्भ किया जाये।

यह प्रस्ताव माननीय कार्यकारिणी के समक्ष प्रस्तुत।

.... **नगर निगम, कानपुर द्वारा गणेश चतुर्थी उत्सव हेतु सम्पूर्ण व्यवस्था कराये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी।**

<u>टेबुल प्रस्ताव संख्या — 72</u>

श्री लियाकत अली, पार्षद द्वारा प्रस्तुत एवं मा0 महापौर द्वारा प्रस्तुत एवं मा0 महापौर द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर विचार किया जाना।

आपको सादर अवगत कराना है कि जोन—1 वार्ड—71 के अन्तर्गत आने वाला 105/55 क्वाटर नं0 31में लगभग 35 वर्ष से बन्द पड़ा शौचालय जिसमें कुछ लोग कब्जा कर रखा है यह लगभग 350 वर्ग गज प्लाट है। जो नगर निगम की सम्पत्ति यह पर गरीबों के लिये बारातशाला बनाने का माननीय महापौर जी एवं मा0 कार्यकारिणी के समक्ष प्रस्तुत है। इसे पास करने का आदेश करें।

...........................**तद्नुसार आगणन तैयार कर प्रस्तुत किये जाने हेतु मा0 सदन को अग्रसारित किया गया।**

<u>टेबुल प्रस्ताव संख्या — 73</u>

रूमा फखर इकबाल, पार्षद वार्ड—96 द्वारा प्रस्तुत एवं मा0 महापौर द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर विचार किया जाना।

आपको साद अवगत कराना है कि वार्ड—96 के अन्तर्गत आने वाला जाजमऊ स्थित मखदमू शाह दरगाह वाला चौराहा जो किसी नाम से अंकित नहीं है इस चौराहे का नाम मखदमू शाह चौराहा करने माननीय महापौर एवं मा0 कार्यकारिणी के समक्ष प्रस्तुत है इसे पास करने का कष्ट करें।

............**परीक्षण करा लें, यदि पूर्व से चौराहे का नामकरण न हो तो नामकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है।**

<u>टेबुल प्रस्ताव संख्या — 74</u>

श्री अमित गुप्ता, पार्षद, वार्ड—104 द्वारा प्रस्तुत एवं मा0 महापौर द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर विचार किया जाना।

हमारे वार्ड में ऐतिहासिक धार्मिक मंदिर श्री बुद्धा देवी मंदिर और शीतला देवी मंदिर बना हुआ है जहॉ से सैकड़ो हजारों भक्तों की आस्था जुडी हुयी है।

अतः दोनो मंदिरों के बाहर मंदिर का गेट का प्रस्ताव स्वीकार कर आदेश करने का कष्ट करें जिससे कि भक्तों की आस्थाव लगाव मंदिर से जुड़ा रहे।

.........................**तद्नुसार परीक्षण कर आख्या मा0 सदन में प्रस्तुत किये जाने हेतु मुख्य अभियन्ता "सिविल" को निर्देशित किया गया।**

<u>टेबुल प्रस्ताव संख्या — 75</u>

निशा अकील शानू, श्रीमती आरती गौतम, श्रीमती ज्योति पासवान, श्री नीरज बाजपेई, श्री लियाकत अली, श्री विकास जायसवाल, मो0 मेराज, पार्षद द्वारा प्रस्तुत एवं मा0 महापौर द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर विचार किया जाना।

विषयः– आगामी आहूत मा. कार्यकारिणी में बगाही ईदगाह गेट पर समाज सेवक रहे स्वर्गीय अब्दुल नेता जी के नाम से चौराहे का नाम करण किए जाने के संबंध में

निवेदन है कि वार्ड–102, जोन–03 के अन्तर्गत बेगमपुरवा बगाही ईदगाह में समाज कल्याण में तत्पर रहे पूर्व समाज सेवक स्वर्गीय अब्दुल नेता जी के नाम पर चौराहे का नामकरण किए जाने का अनुरोध किया गया है, इनके द्वारा अपने समय काल में लागों के कई भलाई के कार्य करवाए एवं मरणोपरांत आज भी उक्त स्थान पर यह काफी प्रसिद्ध है।

उतः उक्त वार्ड–102 की जनता जनार्दन का आभार व्यक्त करने के लिए उक्त चौराहे का नामकरण प्रसिद्ध समाज सेवक **स्वर्गीय अब्दुल नेता जी** के नाम पर किये जाने प्रस्ताव मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष स्वीकृतार्थ प्रस्तुत है।

...........................**परीक्षण करा लें, यदि पूर्व से चौराहे का नामकरण न हो तो नामकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है।**

<u>टेबुल प्रस्ताव संख्या – 76</u>

श्री महेन्द्र पाण्डेय (पप्पू), श्री अभिषेक गुप्ता "मोनू", श्री लियाकत अली, श्री नीरज, श्री नीरज बाजपेई, पार्षद द्वारा प्रस्तुत एवं मा0 महापौर द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर विचार किया जाना।

वार्ड नं– 40 विष्णु पुरी आजाद नगर के अन्तर्गत विष्णुपुरी में कानपुर का नाम देश विदेश में करने वाले स्व0 डॉ0संकठा प्रसाद पाण्डेय जी के निवास के सामने वाले मार्ग का नाम डॉ0 संकठा प्रसाद पाण्डेय किये जाने का प्रस्ताव पूर्व में मा0 महापौर जी आपको दिया था पर किसी कारणवश नहीं हो पाया था।

अतः माननीय आपसे निवेदन है कि वार्ड के अन्तर्गत बिष्णुपुरी में निवास करने स्व0 डॉ0 संकठा प्रसाद पाण्डेय जी के निवास के सामने वाले मार्ग का नाम स्व0 डॉ0 पाण्डेय जी के नाम रकने की कृपा करें। उक्त मार्ग का नाम किसी के नाम नहीं है।

............**परीक्षण करा लें, यदि पूर्व से सड़क/मार्ग का नामकरण न हो तो नामकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है।**

<u>टेबुल प्रस्ताव संख्या – 77</u>

श्री अमित गुप्ता , श्री विकास साहू, श्रीमती कुन्ती निषाद, श्रीमती शुभा शुक्ला, श्री नीरज बाजपेई, श्री अभिनव शुक्ला, श्री आर्दश गुप्ता, पार्षद द्वारा प्रस्तुत एवं मा0 महापौर द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर विचार किया जाना।

हमारे वार्ड जनरलगंज के खोआ बाजार बीच वाला कुऑ पर नगर निगम की जगह पर खोआ मण्डी संचालित है जिससे बहुत ज्यादा राजस्व नगर निगम को नहीं मिलती है जिससे कि वहॉ पर प्रस्तावित प्रथम खण्ड पर नगर निगम का धर्मशाला और एक वार्ड कार्यालय के लिये आदेश करने का कष्ट करें, साथ ही नगर निगम की जगह है जहॉ पर एक पुस्तकालयका निर्माण भी प्रस्तावित स्वीकार करें और जिससे आम जनमानस व क्षेत्रीय लोगों को राहत पहुॅचेगी।

...................**तद्नुसार आगणन तैयार कर प्रस्तुत किये जाने हेतु मा0 सदन को अग्रसारित किया गया।**

<u>टेबुल प्रस्ताव संख्या – 78</u>

श्रीमती नीलम बाथम, श्री विकास साहू, श्री नीरज कुमार, श्रीमती कुन्ती निषाद, श्रीमती शुभा शुक्ला, श्री नीरज बाजपेई, श्रीमती कमलेश त्रिवेदी उर्फ दद्दा, श्री आर्दश गुप्ता, श्री अमित गुप्ता, पार्षद द्वारा प्रस्तुत एवं मा0 महापौर द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर विचार किया जाना।

विषय – जोन–6 वार्ड–17 के अन्तर्गत अकबरपुर गॉव में बारातशाला निर्माण कराने के संबंध में।

विनम्र निवेदन है के साथ अकबरपुर गॉव होलिका व शुलभ के बगल खाली जगह पड़ है। जिससे गरीब वासियों के लिए बारातशाला का निर्माण करा दिया जाये जिससे गरीब परिवार के बहनों के लिए शादी आदि का कार्यक्रम होता रहेगा। ग्रामीणवासी सदा आपके आभारी रहेगें।

.... **तद्नुसार आगणन तैयार कर प्रस्तुत किये जाने हेतु मा0 सदन को अग्रसारित किया गया।**

<u>टेबुल प्रस्ताव संख्या – 79</u>

श्री आर्दश गुप्ता, श्री विकास साहू, श्री नीरज कुमार, श्रीमती कुन्ती निषाद, श्रीमती शुभा शुक्ला, श्री नीरज बाजपेई, श्री अभिनव शुक्ला, श्रीमती कमलेश त्रिवेदी उर्फ दद्दा द्वारा प्रस्तुत एवं मा0 महापौर द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर विचार किया जाना।

हम सभी पार्षदगण आपकों अवगत कराना चाहतें है। कि पिछले वित्त वर्ष 2023–24 को पार्षद कोटे की जो राशि 25–25 लाख रूपये की थी इसमें बहुत से पार्षदों का 18 लाख से 19 लाख तक का काम हुआ है अतः शेष बचे हुए राशि का काम करवाने का आदेश करने का कष्ट करें इसमें लाईटिंग व समरसेबिल का कार्य पार्षद की इच्छानुसार करवाने की भी गुजारिश करते है।

सभापति ने कहा कि सभी 110 वार्डो में 25–25 लाख का कार्य होना था, कुछ पार्षदो के यहॉ अभी भी नहीं हुआ, मुख्य अभियन्ता ''सिविल' को निर्देशित करते हुए कि जब तक कार्यकारिणी चल रही है, तब तक सूचना प्रस्तुत करें कि किसके यहॉ कार्य हुआ, किसके यहॉ नहीं हुआ।

मुख्य अभियन्ता ''सिविल'' ने अवगत कराया कि सभी पार्षदों के यहॉ 25–25 लाख के प्रस्तावों पर कार्य होना था। पहले 20–20 लाख के प्रस्ताव मंगा कर सभी यहॉ कार्य हो गया। 05 लाख के प्रस्ताव बन गया है, जल्द ही कार्य कराया जायेगा।

श्री दीपक शर्मा ने कहा कि 25 लाख का कोई कार्य मेरे क्षेत्र नहीं हुआ है।

श्री अभिषेक गुप्ता 'मोनू' ने कहा कि पूर्व में प्रस्ताव बनने से लेकर भुगतान तक के लिये एक साफ्टवेयर बना था, किन्तु उक्त साफ्टवेयर में 70 से 80 प्रतिशत पत्रावलियों डेटा नही है साफ्टवेयर बनवाने में लगा पैसा बर्बाद हो गया।

सभापति ने कहा कि जब हम लोग 10 साल पार्षद रहे, कभी पत्रावली का पता नहीं चलता था अब हर जगह पत्रावली दिख रही है। अभियन्त्रण विभाग में एवं आउटसोर्सिंग कर्मचारियों में बहुत लापरवाही है, सुधारने की आवश्यकता है। पत्रावली वाली व्यवस्था बन्द होनी चाहिए, निविदादाता पत्रावली लेकर घूमते है। पत्रावली हाथ में लेकर घूमने वाली व्यवस्था बंद होनी चाहिए। अभी पिछले दिनों जोन–6 अन्तर्गत अतिक्रमण अभियान में एक पार्षद के साले का अतिक्रमण गिरा दिया गया, जबकि अन्य का नहीं, यदि अतिक्रमण था, सभी का गिराना चाहिए था।

.... **समस्त 110 वार्डो में कराये गये, अवशेष कार्यो की आख्या/सूचना मा0 सदन मे प्रस्तुत किये जाने हेतु मुख्य अभियन्ता ''सिविल'' को निर्देशित किया गया।**

<u>टेबुल प्रस्ताव संख्या – 80</u>

श्री अभिनव शुक्ला गोलू, पार्षद एवं समस्त क्षेत्रीय नागरिकगण, श्री नीरज कुमार, पार्षद द्वारा प्रस्तुत एवं मा0 महापौर द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर विचार किया जाना।

विषय – सड़क का नामकरण स्व0 ललित कुमार तिवारी के नाम पर होने के सन्दर्भ में।

आपको अवगत कराना है कि वार्ड – 66 पशुपति नगर के अन्तर्गत पशुपति नगर में सी0ओ0डी0 नाला से लगी हुई लिंक रोड़ का नामकरण वरिष्ठ समाज सेवी स्व0 ललित कुमार तिवारी जी के नाम पर करने हेतु समस्त क्षेत्रीय नागरिकों को अनुसंसा पर आपके समक्ष प्रस्ताव हेतु निवेदन करता हूॅ कि रोड़ का नाम करण वरिष्ठ समाज सेवी के नाम पर करने की कृपा करे।

................**परीक्षण करा लें, यदि पूर्व से सड़क/मार्ग का नामकरण न हो तो नामकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है।**

<u>टेबुल प्रस्ताव संख्या – 81</u>

श्री आदर्श गुप्ता, श्रीमती कुन्ती निषाद, श्री धीरेन्द्र कुमार त्रिपाठी, श्री नीरज बाजपेई, श्री अमित गुप्ता, पार्षद द्वारा प्रस्तुत एवं मा0 महापौर द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर विचार किया जाना।

हमारे वार्ड के निवासी रहे स्वर्गीय हरी दीक्षित जो कि राम मंदिर अभियन में सक्रिय रहें और वरिष्ठ समाजसेवी थे। क्षेत्रवासियों की मनसा है कि उनके नाम पर क्षेत्र की रोड़ का नाम या एक स्मारक प्रस्तावित स्वीकार करने का कष्ट करें, साथ ही व्यापार मण्डल के वरिष्ट नेता व वैश्य समाज के लिये सदैव संघर्षरत स्व0 आन्नद गुप्ता जी के नाम का भी प्रस्ताव स्वीकार कर समाज के बीच एक अच्छी पहल करने का कष्ट करें।

1. काली माता मंदिर कनोल रोड़ से घण्टा घर के बीच की रोड़।
2. लोकमन मोहाल की एक गली का नाम ।

..............**परीक्षण करा लें, यदि पूर्व से सड़क/मार्ग का नामकरण न हो तो नामकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है।**

<u>टेबुल प्रस्ताव संख्या – 82</u>

श्रीमती आरती गौतम, श्री योगेन्द्र शर्मा, द्वारा प्रस्तुत एवं मा0 महापौर द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर विचार किया जाना।

विषय : जोन–3 वार्ड 18 के अन्तर्गत साकेत नगर वैण्डी स्कूल के पास जल संस्थान के डम्प के पास खली पड़ी जमीनप पर मार्केट (दुकान) बनाये जाने के सम्बन्ध में।

सादर अवगत कराना चाहती हूँ कि वार्ड 18 के अन्तर्गत वैण्डी स्कूल के पास जल संस्थान के डम्प के पास खाली जमीन पड़ी हुई है, जिस पर 10×10 की लगभग 15 से 20 दुकाने बन सकती है।

अतः जनहित को दृष्टिगत रखते हुए उक्त स्थल पर दुकान बनाये जाने की कृपा करें।

................**स्थलीय निरीक्षण एवं भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में परीक्षण कराते हुए दुकान निर्माण के सम्बन्ध में प्रस्ताव तैयार कर आगामी मा0 सदन की बैठक में प्रस्तुत करें।**

<u>टेबुल प्रस्ताव संख्या – 83</u>

श्री प्रशांत अग्रवाल, अध्यक्ष, श्री श्याम जी सखा मण्डल, 57/57, सिरकी मोहाल, कानपुर, श्री शिव सागर अग्रवाल, अध्यक्ष श्री श्याम परिवार संस्था, 784/20–ए–डब्ल्यू, साकेत नगर, कानपुर द्वारा प्रस्तुत एवं मा0 महापौर द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर विचार किया जाना।

विषयः नानारावपार्क के बगल में स्थित महोत्सव स्थल के सम्बन्ध में सुझाव

निवेदन है कि दिनांक 04 सितम्बर 2024 दिन बुधवार को आपकी अध्यक्षता में नानाराव पार्क के बगल में स्थित महोत्सव स्थल के निरीक्षण में हमारे द्वारा निम्नलिखित सुझाव आपके समक्ष प्रस्तुत किये गये है, हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप इन पर विचार–विमर्श करके इन सभी बिन्दुओं पर अपना ध्यान आकर्षित कर इनका उचित समाधान करेंगी, जो कि निम्न है :–

1. महोत्सव स्थल का नाम "**श्री श्याम महोत्सव स्थल" होना चाहिए।**
2. महोत्सव स्थल का प्रवेश द्वारा **नानाराव पार्क के मुख्य द्वार** में होना चाहिए एवं निकास द्वार इस द्वार से अलग जाना चाहिए।
3. पुरूष एवं महिला शौचालय की व्यवस्था सुनिश्चित होनी चाहिए।
4. पंडाल के ठीक सामने जो मुंडेर बनी है वो हटनी चाहिए।
5. महोत्सव स्थल में बारिश के समय जो जलभराव हो उसकी निकासी की व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए।

....................**तद्नुसार नानाराव पार्क के बगल में निर्मित महोत्सव स्थल का नाम "श्री श्याम महोत्सव स्थल" किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी।**

<u>टेबुल प्रस्ताव संख्या – 84</u>

श्री पवन पाण्डेय, पार्षद, वार्ड 30 द्वारा प्रस्तुत एवं मा0 महापौर जी द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर विचार किया जाना।

विनम्र निवेदन सहित अवगत कराना है कि हमारे क्षेत्र वार्ड 30 अम्बेडकर नगर में दो छोटे नाले है, जो निम्नवत है :–

1. छपेड़ा चौराहा बाबा हैण्डलूम से हरी गर्ल्स हॉस्टल के सामने जिसका फाईल नं0 733 व अनुमानित व्यय रू0 33.00 लाख लगभग है।
2. आर0एस0पुरम म0नं0 117/के–102 से दिनेश बुक स्आल तक आर0आर0सी0 नाला, फाइल नं0 764 व अनुमानित व्यय लगभग रू0 35 लाख है।

महोदया दोनों नाले अतिमहत्वपूर्ण है, बनवाने के लिये सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करे।

.........................तद्नुसार स्वीकृति प्रदान करते हुए मा0 सदन को अग्रसारित किया गया।

<u>टेबुल प्रस्ताव संख्या – 85</u>

श्री नवीन पंडित, पार्षद, वार्ड–98, अध्यक्ष, सचिव,श्री अटल जी मानव एवं महिला कल्याण विकास समिति, 1893, अनुपम नगर, एच0आर0वाटिका, कानपुर नगर द्वारा प्रस्तुत एवं मा0 महापौर द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर विचार किया जाना।

आपको अवगत कराना है कि वार्ड 62 देहली सुजानपुर के अन्तर्गत बालाजी हॉस्पिटल के निकट एच0आर0 वाटिका गेंस्ट हाऊस के पीछे नवीन बस्ती बसी हुई है। यहाँ लगभग 300 मकान है। हम सब क्षेत्रवासियों की इच्छा है कि भारतरत्न माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से मोहल्ला अटल नगर गठित किया जाये। जिससे हम समस्त क्षेत्रवासी माननीय अटल बिारी बाजपेयी जी को श्रद्धांजलि दे सके।

.... **नियमानुसार वार्ड 62 देहली सुजानपुर के अन्तर्गत बालाजी हॉस्पिटल के निकट एच0आर0 वाटिका गेंस्ट हाऊस के पीछे नवीन बस्ती का नाम ''अटल नगर'' किये जाने की स्वीकृति के साथ मा0 सदन को अग्रसारित किया गया।**

<u>टेबुल प्रस्ताव संख्या – 85</u>

श्री नवीन पंडित, नेता सदन पार्षद दल भाजपा, श्री यशपाल सिंह, श्री पवन पाण्डेय, श्री धीरेन्द्र कुमार, पार्षद द्वारा प्रस्तुत एवं मा0 महापौर द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर विचार किया जाना।

विषय : वार्ड 88 बसंत विहार के पूर्व पार्षद स्व0 अनूप शुक्ला पूर्व उपसभापति के नाम से बसंत विहार पार्क किये जाने के सम्बन्ध में।

04 तारीख को हमारे पूर्व पार्षद अनूप शुक्ला का निधन हो गया था व नगर निगम के उप सभापति भी रहे है। क्षेत्रीय जनता का निवेदन है कि बसंत पार्क का नाम अनूप शुक्ला बसंत उद्यान करके उसे विकसित किया जाये।

.....................परीक्षण करा लें, यदि पूर्व से नामकरण न हो तो, तद्नुसार स्व0 अनूप शुक्ला, पूर्व पार्षद के घर के सामने स्थित पार्क का नाम ''अनूप शुक्ला बसंत उद्यान'' नामकरण किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी।

<u>टेबुल प्रस्ताव संख्या – 86</u>

श्री नवीन पण्डित, नेता सदन भाजपा, श्री पवन पाण्डेय, श्री धीरेन्द्र कुमार द्वारा प्रस्तुत एवं मा0 महापौर द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर विचार किया जाना।

विषय : कोकाकोला चौराहा जिसका आज तक कोई नाम नहीं है का साई टेऊँराम के नाम से नामकरण के सम्बन्ध में।

निवेदन है कि सन्त भोला राम प्रेम प्रकाश आश्रम जो कौशलपुरी 118/66 में स्थित है। यह सिन्धी समाज का आस्था का केन्द्र है। पूरे देश में जगह–जगह इनके आश्रम बने है। यहाँ गरीबों को निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराया जाता एवं दवाई से लेकर कन्यादान तक गुरू जी के आश्रम में मदद की जाती है। सिन्धी समाज कि इच्छा है कि उनके गुरू साई टेऊँराम के नाम से कोकाकोला चौराहा के नाम से घोषित कर दिया जाये, मैने जानकारी प्राप्त कर ली है। यह स्थल अभी किसी के नाम नहीं है। इस पुनीत कार्य के लिये मैं और सिन्धी समाज सदा आपका आभारी रहेगा।

...............परीक्षण करा लें, यदि पूर्व से चौराहे का नामकरण न हो तो नामकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

<u>टेबुल प्रस्ताव संख्या – 87</u>

श्रीमती मंजू पाल, पार्षद, वार्ड 36 द्वारा प्रस्तुत एवं मा0 महापौर द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर विचार किया जाना।

सविनय निवेदन करते हुए अवगत कराना चाहती हूँ कि हमारे वार्ड सं0 3 अजीतगंज के साथ ही साथ शहर के समस्त वार्डो में कई महीनों से सभी सड़को एवं गली मोहल्लों की स्ट्रीट लाईट, हाई मास्क टावर एवं तिरंगा स्ट्रीट, हाईमास्क टावर एवं तिरंगा स्ट्रिप लाईटें खराब होने के कारण रात्रि. में घना अंधेरा व्याप्त हो जाता है। जिसके कारण क्षेत्रीय नागरिकों को आवागमन में अत्यधिक कठिनाई होती है। आवारा पशुओं जगह–जगह गड्ढो एवं वर्षा का मौसम होने के कारण आये दिन दुर्घटनाओं से नागरिक चोटिल हो जाते है। अराजक तत्वों का भी भय बना रहता है।

इस कारण नागरिकों में पार्षद एवं सरकार के प्रति रोष व्याप्त है। जनहित में लाईटों को ठीक कराना अत्यन्त आवश्यक है।

अतः आपसे विनम्र आग्रह है कि शहर की बन्द पड़ी लाईटें चालू कराने की व्यवस्था करने हेतु आदेश पारित करें ताकि शहर की जनता की समस्याओं का निराकरण हो सके।

......................आगणन तैयार कर अगली मा0 कार्यकारिणी समिति की बैठक में प्रस्तुत करें।

<u>टेबुल प्रस्ताव संख्या – 88</u>

श्री यशपाल सिंह, पार्षद, वार्ड–78 एवं श्रीमती आशा सिंह, वरिष्ठ लेखिका, विश्व परिषद, मुण्डा छात्रावास, मालवीय मिशन एवं सामाजिक जन कल्याण, आम जनता द्वारा प्रस्तुत एवं मा0 महापौर द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर विचार किया जाना।

श्री राजकुमार सिन्हा को काकोरी काण्ड में दस वर्ष की सजा एवं श्री विजय कुमार सिंन्हा को साण्डर्स काण्ड में आजीवन कारावास मिला था, दोनो भाई कानपुर के थे।

अतः कानपुर में अवश्य स्मारक बनवाया जाये का प्रस्ताव मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ और स्वीकृत्यर्थ प्रस्तुत है।

सभापति ने कहा कि नजीराबाद थाने के पास वाली सड़क का मेरी जानकारी में नामकरण नहीं है।

...............परीक्षण करा लें, यदि पूर्व से यदि नजीराबाद सामने की सड़क का नामकरण न हो तो नामकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

<u>टेबुल प्रस्ताव संख्या – 89</u>

फैजान रहमान, पार्षद, वार्ड–103 परेड द्वारा प्रस्तुत एवं मा0 महापौर द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर विचार किया जाना।

सदर अवगत कराना है कि मेरे वार्ड नं0 103 परेड के अन्तर्गत कुल 02 प्रमुख चौराहे है मूलगंज चौराहा व परेड चौराहा आता है तथा दोनों चौराहों का सुन्दरीकरण कराये जाने की आवश्यकता है।

अतः आपसे सादर अनुरोध है कि उक्त दोनों चौराहों का सुन्दरीकरण स्मार्ट सिटी के द्वारा कराये जाने का आदेश प्रदान करने की कृपा करें। उपरोक्त स्थल पर फुटपाथ एवं साइड पटरी का सुधार कराने की कृपा करें।

.................तद्नुसार स्वीकृति प्रदान करते हुए चौराहो का सुन्दरीकरण का कार्य सी0एस0आर0 फण्ड/स्मार्ट सिटी से कराये जाने हेतु नगर आयुक्त को निर्देशित किया गया।

.टेबुल प्रस्ताव संख्या – 90

श्री यशपाल सिंह, पार्षद, वार्ड 78 द्वारा प्रस्तुत एवं मा0 महापौर द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर विचार किया जाना।

आदर्श व्यायामशाला सिविल लाइन्स कानपुर नगर निगम की जमीन पर स्थित है, जिस पर स्मार्ट सिटी के अन्तर्गत करोड़ो रूपये इसके रख–रखाव के लिए लगाया गया है।

अतः इस व्यायामशालायें से शुल्क आता है, वो अराजक तत्व के हाथों में जाता है। नगर निगम की आय बढ़ाने हेतु नगर निगम द्वारा एवं इस व्यायामशाला को संचालित किया जा सके।

यह प्रस्ताव माननीय कार्यकारिणी के समक्ष विचारार्थ एवं स्वीकृत्यर्थ प्रस्तुत है।

सभापति ने कहा कि व्यायामशाला नगर निगम का है और नगर निगम को जानकारी ही नहीं है, पैसा कोई अन्य वसूल रहा है।

.... आदर्श व्यायामशाला, सिविल लाईन्स के सम्बन्ध में परीक्षण आगामी मा0 सदन की बैठक में प्रस्तुत करें।

टेबुल प्रस्ताव संख्या – 91

प्रभारी अधिकारी "विद्युत', अपर नगर आयुक्त द्वारा प्रस्तुत, नगर आयुक्त द्वारा अग्रसारित एवं मा0 महापौर द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर विचार किया जाना।

नगर निगम सीमा के अन्तर्गत कानपुर नगर में 123557 प्रकाश बिन्दु विद्यमान है। मार्ग प्रकाश बिन्दुओं के रख–रखाव का कार्य अभी तक ई.ई.एस.एल. कम्पनी द्वारा किया जा रहा था। वर्तमान में ई.ई.एस.एल.कम्पनी द्वारा 01 वर्ष पूर्व से ही अनुरक्षण कार्य करना बन्द कर दिया गया है। इसी माह इनका 07 वर्ष का अनुबन्ध भी समाप्त हो रहा है। जिससे मार्ग प्रकाश बिन्दुओं के अनुरक्षण का कार्य बाधित हो रहा है। वर्तमान में अनुरक्षण के कार्य हेतु विद्युत सामग्री उपलब्ध नहीं है। ई.ई.एस.एल. द्वारा द्वारा 07 वर्ष पूर्व 91935 नग परम्परागत सोडियम लाइटों के स्थान पर कम ऊर्जा खपत वाली एल0ई0डी0 स्ट्रीट लाइटें लगायी गयी थी। इन एल0ई0डी0 लाईटों की लाइफ लगभग समाप्त हो रही है, जिसके कारण नगर निगम के 110 वार्डो में लगी एल0ई0डी0 लाइटों में से अधिकांश जर्जर होकर खराब हो गयी है। वर्तमान समय में वर्षाकाल चल रहा है। वर्षाकाल में अन्य दिनों की अपेक्षा अधिक मार्ग प्रकाश बिन्दु खराब होते है। **फिलहाल शहर की मार्ग प्रकाश व्यवस्था को सुदृढ़ बनाये जाने हेतु विभिन्न वॉटेज की 8000 नग नई एल0ई0डी0 फिटिंग अविलम्ब क्रय किये जाने की अतिआवश्यकता है।**

सभापति ने पूछा कि कुल 8000 नग नई एल0ई0डी0 किस मद से क्रय की जायेंगी ?

नगर आयुक्त द्वारा अवगत कराया गया कि अवस्थापना निधि में रू0 16 करोड़ अवशेष है, अवस्थापना मद से ही क्रय किया जायेगा।

सभापति ने कहा कि नगर निगम निधि से प्रस्ताव बनाये।

.... **तद्नुसार विस्तार से क्रय की लागत सहित प्रस्ताव तैयार कर अगली मा0 कार्यकारिणी की बैठक में प्रस्तुत करें।**

<u>टेबुल प्रस्ताव संख्या – 92</u>

प्रभारी अधिकारी ''विद्युत', अपर नगर आयुक्त द्वारा प्रस्तुत, नगर आयुक्त द्वारा अग्रसारित एवं मा0 महापौर द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर विचार किया जाना।

वर्तमान में कानपुर नगर की जनसंख्या के क्षेत्र में लगातार वृद्धि हो रही है। वर्तमान मे ंकानपुर नगर के क्षेत्रफल बढ़ जाने के फलस्वरूप मानकके अनुसार 06 जोनों के अन्तर्गत 110 वार्डो के कार्य हेतु कुल 110 लाईनमैन एवं 330 स्विचमैनों की आवश्यकता है। वर्तमान समय मे ं49 सृजित लाईनमैन के पदों के विरूद्ध 01 लाईनमैन एवं 314 सृजित स्विचमैन के पदो के विरूद्ध 121 स्विचमैन कार्यरत है। ई0ई0एस0एल0 कम्पनी से अनुबन्ध के पूर्व 110 वार्डो की मार्ग प्रकाश व्यवस्था बनाये रखने हेतु प्रतिवार्ड 01–01 अर्थात 110 आउटसोर्सिंग कर्मचारी सेवाप्रदाता कम्पनी के माध्यम से रखे गये थे, जो ई0ई0एस0एल0 कम्पनी से अनुबन्ध हो जाने के कारण हटा दिये गये थे। वर्तमान में ई0ई0एस0एल0 कम्पनी द्वारा कार्य बन्द कर दिया गया है। विभागीय कर्मचारियों द्वारा मार्ग प्राकश बिन्दुओं को जलाने–बुझाने एवं स्विच, तार एवं सर्किटों के अनुरक्षण का समस्त कार्य किया जाता है, किन्तु मार्ग प्रकाश विभाग में विभागीय कार्मिकों की अत्यन्त कमी के कारण अनुरक्षण कार्य व्यापक स्तर पर कराये जाने में भीषण कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये 06 जोनों की मार्ग प्रकाश व्यवस्था के लिये अनुरक्षण कार्य कराये जाने के लिये फिलहाल **प्रत्येक जोनों हेतु 01–01 आउटसोर्सिंग कुल 06 अवर अभियन्ता एवं प्रत्येक वार्ड हेतु 01–01 इस प्रकार कुल 110 आउटसोर्सिंग कुशल कर्मी (बिजली के कार्य हेतु)** को आउटसोर्सिंग सेवा प्रदाता एजेंसी के माध्यम से निर्धारित वेतन पर पदस्थ किये जाने की अतिआवश्कता है।

...........................**विस्तृत विवरण कर्मियों पर आने वाला व्ययभार सहित अगली मा0 कार्यकारिणी की बैठक में प्रस्तुत करें।**

<u>टेबुल प्रस्ताव संख्या – 93</u>

श्री सौरभ देव, श्री नवीन पण्डित, श्री आकर्ष वाजपेयी एवं श्री अभिनव शुक्ला, पार्षद द्वारा प्रस्तुत एवं मा0 महापौर द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर विचार किया जाना।

कृपया प्रायः देखा जा रहा है कि कानपुर नगर निगम में आमंत्रित होने वाली ई–टेण्डरिंग की निविदाओं में अत्यधिक निम्न (30 प्रतिशत तक निम्न) निविदायें प्राप्त हो रही है, जिससे कार्यो की गुणवत्ता प्रभावित होने के साथ–साथ नगर निगम की छवि पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है।

मा0 कार्यकारिणी समिति से अनुरोध है कि नगर निगम लखनऊ, नगर निगम मेरठ इत्यादि में 15 प्रतिशत तक निम्न दर की सीमा निर्धारित है। यदि 15 प्रतिशत से अधिक निम्न दर पर निविदा प्राप्त होती है, तो उसको निरस्त कर दिया जाता है। 15 प्रतिशत की समान दर पर प्राप्त होने वाली निविदाओं का आवंटन/चयन लॉटरी के माध्यम से किया जाता है। अतः कार्य की गुणवत्ता एवं नगर निगम की छवि के दृष्टिगत अन्य नगर निगमों की भांति नगर निगम, कानपुर मे भी निविदाओं की निम्न दर सीमा 15 प्रतिशत किये जाने हेतु निर्णयार्थ/स्वीकृतार्थ मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष प्रस्तुत है :–

तत्क्रम में उपरोक्तानुसार नगर निगम कानपुर की आमंत्रित निविदाओं में निम्न दर की सीमा 15 प्रतिशत तक निर्धारित किये जाने हेतु मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष स्वीकृतार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

.....................**तद्नुसार स्वीकृति प्रदान की गयी।**

श्री अभिषेक गुप्ता 'मोनू' ने कहा कि पहले पार्षदों द्वारा अग्रसारित जन्म–मृत्यु के प्रमाण पत्र हेतु एक अलग व्यवस्था थी, किन्तु भारत सरकार की बेबसाइट सी0एस0आर0 पोर्टल लागू हो जाने के कारण व्यवस्था जोन वाइज हो गयी है। मेरा अनुरोध है कि पूर्व पार्षदो हेतु पूर्व की तरह व्यवस्था बनायी जाये।

मो0 अवेश, अपर नगर आयुक्त ने अवगत कराया कि पार्षदो के जन्म–मृत्यु प्रमाण पत्र हेतु एक लिपिक की व्यवस्था कर दी गयी है।

श्री पवन पाण्डेय ने कहा मेरे क्षेत्र में पार्क पर कब्जे का प्रयास किया जा रहा है, वहॉ पर बाउन्ड्रीवॉल भी बन गयी है।

सभापति ने श्री कृपा शंकर पाण्डेय, उद्यान अधीक्षक से अतिक्रमण के सम्बन्ध में जानकारी न होने के सम्बन्ध मे ंअवगत कराया गया। सभापति ने श्री दिवाकर भास्कर, सहायक अभियन्ता को अतिक्रमण की जानकारी कर अवगत कराये जाने हेतु निर्देशित किया।

श्री यशपाल सिंह ने कहा कि वर्ष 2008 के कई बिलों का अभी तक निस्तारण नहीं हो पाया है 2016 से पुनः टैक्स बढा दिया गया, जिसमें लोगो के टैक्स अत्यधिक बढ़कर आ रहे है।

श्री अनिरूद्ध सिंह, मुख्य कर निर्धारण अधिकारी ने कहा मा0 महापौर जी के निर्देशानुसार जोनों में एवं अलग से गृह कर बिलो में संशोधन हेतु कैम्प लगाकर संशोधन कार्य किया जा रहा है।

सभापति ने कहा कि महाबलीपुरम के लोंग टैक्स देना चाहते है, किन्तु कोई टैक्स नहीं ले रहा है, जोनल अधिकारी, जोन–6 कैम्प लगाकर गृह कर निर्धारण सम्बन्धी कार्य कराये। दाखिल–खारिज में कई शिकायते आती है कि जो भाइयों में जो मजबूत होता है, वह अपना नाम चढ़वा लेता है, कमजोर अपना नहीं चढ़वा नहीं पाता है, इसका ध्यान दिया जाये एवं पत्रावली का परीक्षण कर सही नाम अंकित किया जाये।

श्री अभिषेक गुप्ता 'मोनू' ने कहा कि मेरे पत्रों का जवाब नहीं दिया जाता है। विज्ञापन में टैक्स नही आ रहा है, स्मार्ट सिटी कहती है मैने स्थल आवंटन नहीं किया।

सभापति ने कहा कि श्री राजेश सिंह स्मार्ट सिटी के विज्ञापन के सम्बन्ध में जानकारी कर अवगत कराया जाये। साथ नगर निगम के कार्यालय रात्रि के 11 बजे तक खुले रहते है, जबकि कार्यालय सायं 05 बजे बन्द हो जाना चाहिए। साथ ही मुख्ययालय में कई अनाधिकृत व्यक्तियों हेतु प्रवेश एवं निकलने के स्थानों पर विशेष निगरानी रखी जाये।

सभापति ने दिनांक 06 सितम्बर 2024 को सम्पन्न हुई मा0 कार्यकारिणी समिति की बैठक की कार्यवाही की पुष्टि के सम्बन्ध मे सभी सदस्यों से अपना–अपना अभिमत व्यक्त करने के लिये ंकहा।

.... सभी सदस्यों द्वारा दिनांक 06 सितम्बर 2024 को सम्पन्न हुई मा0 कार्यकारिणी समिति की बैठक की कार्यवाही की पुष्टि की गयी।

...

तत्पश्चात बैठक की कार्यवाही का समापन हुआ।

ह0 ....

(प्रमिला पाण्डेय)
महापौर / सभापति